नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94 / 793— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए अनुसार गांव हयातपुर, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय मिडल विद्यालय के आस पास के क्षत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्ः—

अनुसूची

गांव हयातपुर, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय मिडल विद्यालय के इर्द-गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 410 / 93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दुं क' से लेकर अर्थात 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाण सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 डी० पी0–81/8039, दिनांक 21 मई 1981 द्वारा पहले से ही घोषित गुड़गावं नियन्त्रित क्षेत्र प्प्प की सीमा पर स्थित गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 31 का उत्तर—पश्चिमी कोना, उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ–2 दक्षिण–पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव हयातपुर की आयत संख्या 4 के उत्तर—पूर्वी कोने के साथ मिलती है।

पूर्व: उसके बाद गांव हयातपुर की आयत संख्या 4, 7, 16, 30, 56 और 57 तथा गांव बड़ा की आयत संख्या 3 और 8 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दू 'ग' तक जो गांव बड़ा की आयत संख्या 8 का दक्षिणी—पूर्वी कोना है।

दक्षिण: उसके बाद गांव बड़ा की आयत संख्या 8,7 और 6 की दक्षिणी सीमा और गांव हयातपुर की आयत संख्या 50 और 41 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 पश्चिमी की ओर उस बिन्दु तक जहां यह गांव हयातपुर की पश्चिमी की सीमा के साथ मिलती है। उसके बाद गांव वाजीरपुर की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक जहां यह गांव मेंओका की आयत संख्या 15 के दक्षिणी—पूर्वी कोने के साथ मिलती है, उसके बाद गांव मेंओका की आयत संख्या 15, 14 और 13 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 पश्चिम की ओर बिन्दु 'घ' तक जो उक्त गांव की आयत संख्या 13 का दक्षिणी—पश्चिमी कोना है।

पश्चिमः उसके बाद गांव मेओका की आयत संख्या 13,6 और 4 तथा गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 98 और 82 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 82 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर उसके बाद गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 72,70,55,51 और 36 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तरी की ओर, उसके बाद गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 36 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर, उसके बाद गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 32 और 31 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'क' तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

130

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/793- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Middle School at village Hayatpur, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Middle School at village-Hayatpur, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg No. DTP(G) 410/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point 'A' i.e. north-western corner of Rect.No. 31 of village Wazirpur, located on boundary of Gurgaon controlled area No. III already declared, - vide Haryana Government Gazette Notification No. 10-DP-81/8039, dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981, thence towards south-east along the boundary of said controlled area upto point 'B' where it meets with the North-Eastern corner of Rectangle no. 4 of village Hayatpur.

East : Thence, towards south along the eastern boundary of Rect. No. 4, 7, 16, 30, 56 and 57 of village Hayatpur and Rect. No. 3 and 8 of village Badha upto point 'C' which is south-eastern corner of Rect.No. 8 of village Badha.

South: Thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 8, 7 and 6 of village Badha and the Southern boundary of Rect. No. 50 and 41 of village Hayatpur upto the point where it coincides with the western boundary of village Hayatpur. Thence towards south along the eastern boundary of village Wazirpur upto the point where it meets with the south-east corner of Rect. no. 15 of village Meoka, thence towards west along the southern boundary of Rect.No. 15, 14 and 13 of village Meoka upto point 'D' which is the south-western corner of Rect.No. 13 of said village.

West: Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 13, 6 and 4 of village Meoka and Rect. No. 98 and 82 of village Wazirpur, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 82 of village Wazirpur, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 72, 70, 55, 51 and 36 of village Wazirpur, thence towards east along the northern boundary of Rect.No. 36 of village Wazirpur, thence along western boundary of Rect.No. 32 and 31 of village Wazirpur upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.